भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1580

दिनांक 04.12.2024 को उत्तर देने के लिए

खनन उद्योग में नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग

1580 श्री बिद्युत बरन महतो:
क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड में खनन उद्योग में नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) खनन उद्योग में कामगारों की सुरक्षा सुश्चित करने के लिए सुरक्षा मानकों और विनियमों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार खनन से अर्जित राजस्व का उपयोग स्थानीय विकास और समाज कल्याण के लिए कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 में खनिज गवेषण, संसाधन प्रबंधन, खनिजों के वैज्ञानिक और इष्टतम खनन में उनकी अधिकतम आर्थिक पुनर्प्राप्ति और मानव संसाधनों का विकास सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग की परिकल्पना की गई है।

झारखंड सहित देश के सभी पट्टाधारक खनिज संसाधनों के इष्टतम खनन को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। खनन क्षेत्र में उपयोग की जा रही कुछ नवीनतम प्रौद्योगिकियों में सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली, ड्रोन प्रौद्योगिकी, उपग्रह आधारित निगरानी, स्वचालन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स शामिल हैं।

(ख): केंद्र सरकार खान अधिनियम, 1952 के माध्यम से खानों में श्रम और सुरक्षा मानकों को विनियमित करती है जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

उक्त अधिनियम में खान निरीक्षकों की नियुक्ति, कार्य और शक्तियां, खानों में स्वास्थ्य और सुरक्षा, रोजगार के घंटे और सीमा, सवैतनिक छुट्टी आदि के प्रावधान हैं। उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए खान नियम, 1955 में खानों में नियोजित या नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की चिकित्सा जांच, कर्मकार निरीक्षक और सुरक्षा समिति, स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा उपकरण, कल्याणकारी सुविधाओं आदि के लिए नियमों का प्रावधान है।

(ग): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [एमएमडीआर अधिनियम, 1957] को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिसके तहत अधिनियम में धारा 9ख शुरू की गई, जो राज्य सरकारों को खनन कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के कल्याण एवं लाभ के लिए काम करने हेतु जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) स्थापित करने का अधिकार देती है। डीएमएफ के तहत अर्जित निधियों का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए किया जाता है:

(i) पेयजल आपूर्ति

(ii) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय

(iii) स्वास्थ्य देखभाल

(iv) शिक्षा

(v) महिला एवं बाल कल्याण

(vi) कौशल विकास और आजीविका सृजन

दिनांक 30.09.2024 तक, डीएमएफ के तहत 1,00,158.16 करोड़ रुपये की संचयी राशि एकत्र की गई है जिसमें से 3,60,811 परियोजनाओं के लिए 86,462.80 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

*****